न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या : 217/2011

[illegible] पुत्र भंवरलाल जाति मेहर निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां

—वादी

बनाम

1. गोविन्दलाल पुत्र श्रीलाल जाति मेहर निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादीगण

<u>जवाब दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी :— श्री कर्मवीर शर्मा,
वकील प्रतिवादीगण :— श्री हरिओम प्रजापति
दायरा दिनांकः 01.07.2011

निर्णय दिनांक : 27.12.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है वादी की काश्त आराजी से लगी प्रतिवादी नं0 1 की खाता आराजी खसरा नं0 646 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 647 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 रकबा 0.50 है0 वाके माल बोहत तहसील मांगरोल में स्थित है। जो प्रतिवादी स्वंय ने स्वयं 34 वर्ष पूर्व वाकी को रू0 30000 में रहन रख कब्जा संभला दिया था। तब से वादी सअधिकार काबिज काश्त है। प्रतिवादी कम 1 ने दिनांक 09.07.1996 को जर्ये इकरार नामा रूबरू गवाहान लिखावट स्टाम्प कर स्वयं की विवादित आराजी खाते व कब्जे काश्त की को बिल ऐवज रू0 60000 रू0 में बैचान कर कब्जा वादी को सम्भला दिया था। तथा इकरार किया कि भविष्य में रजिस्ट्री करवा दूंगा। प्रतिवादी कानून हाथ में लेकर लिखित विकय इकरार बावजूद दादागिरी के बल पर वादी को विवादित आराजी से बेदखल न कर दे। इस कारण वाद वास्ते घोषणा किये जाने खातेदार एडवर्स पजेशन 34 वर्ष के आधार पर वादी स्वयं को आराजी खसरा नं0 646 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 647 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 रकबा 0.50 है0 वाके माल बोहत तहसील मांगरोल का खातेदार घोषित करवाने का और विकेता खातेदारी विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अधिकारी है। अतः सादर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावें कि विवादित आराजी विकय अनुबंध दिनांक 09.07.1996 पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 01.07.2011 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम प्रजापत ने वकालत नामा प्रस्तुत किया लेकिन जबवा दावा प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में दिनांक 26.12.2018 को बहस फाईनल वकील वादी व प्रतिवादी कम 1 की सुनी

तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है द्वारा दिनांक उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार (तहसीलदार) की ओर से जवाब दावा वाद पत्र बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

1. वाद पत्र की बिन्दू सं0 1 आंशिक स्वीकार है।
2. वाद पत्र की बिन्दू सं0 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादी व प्रतिवादी कम 1 का व्यक्तिगत विवाद होने से अस्वीकार है।
3. वाद पत्र की बिन्दू सं0 3 में वादी की प्रतिवादी कम 1 की व्यक्तिगत जानकारी संबंधी है जो जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
4. वाद पत्र की बिन्दू सं0 4 में वादी की प्रतिवादी कम 1 की व्यक्तिगत जानकारी संबंधी है जो जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
5. वाद पत्र की बिन्दू सं0 5 अस्वीकार है। एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी को खातेदार घोषित किये जाने के अधिकार प्राप्त नही होते है चाहे कब्जा कितनी ही लम्बी अवधि का रहा हो।
6. वाद पत्र की बिन्दू सं0 6 अस्वीकार है।
7. वाद पत्र की बिन्दू सं0 7 अस्वीकार है।
8. वाद पत्र की बिन्दू सं0 8 व 9 कानूनी है।

<u>विशेष निवेदन:-</u>

यह है कि मुताबिक राजस्व जमाबंदी सम्वत 2065-68 ग्राम बोहत तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नं0 646 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 647 रकबा 0.11 है0 गोविन्दलाल पुत्र श्रीलाल कोम मेर सा0 पाडलया के खाते दर्ज है। जिस पर वादी रामेश्वर पुत्र भंवरलाल जाति मेहर निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल केवल लम्बे कब्जे (एडवर्स पजेशन) के आधार पर उक्त आराजी में खातेदारी चाहता हैं और इसी अतिकमण/देरीना प्रतिकूल कब्जे काश्त (एडवर्स पजेशन) के आधार पर दिये जाने खातेदारी हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी

[illegible] संबंध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृष्टांत किया जाना

[illegible]	[illegible] कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
[illegible]	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

2011(2) 721

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन
श्री आनन्द कुमार– मेम्बर
श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर
श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर
श्री बजरंगलाल शर्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964/जयपुर ऑफ 1997 — निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व 65–रेफरेन्स–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकत हैं– काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

अतः राजहित में माननीय न्यायालय से उक्त वाद अन्तर्गत सारहीन/तथ्यो से परे होने से राजकीय भूमि जो वर्तमान में मुताबिक राजस्व रेकार्ड गोविन्दलाल पुत्र श्रीलाल कोम मेर सा0 पाडलया के खाते दर्ज है उस पर कब्जा होने से मात्र एडवर्स पजेशन के बेस पर लाया है अतः उक्त वाद उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो की रोशनी में अविलम्ब राजहित में खारिज फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज व प्रतिवादी कम 2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल के विस्तृत जवाब दावे एवं बहस फाईनल दिनांक 26.12.2018 के प्रकाश

...ल कब्जे के आधार पर आराजी ग्राम बोहत तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नं0 646 रकबा ... खसरा नं0 647 रकबा 0.11 है0 आराजी जो प्रतिवादी कम 1 के खाते में दर्ज है को खाते दर्ज ...ना चाहता है परन्तु इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के ...धार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्... हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन...